क्रॉस स्पॉन्सरिंग और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स

नियम व शर्तें

डिस्ट्रीब्यूटरों की क्रॉस स्पॉन्सरिंग किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती।

क्रॉस स्पॉन्सरिंग क्या होती है?

1. एक डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी अन्य ग्रुप में साइन–अप करता है।
2. पति पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ हो और पत्नी किसी अन्य ग्रुप में साइन–अप करे।
3. एक आईडी चालू होने के बाबजूद डिस्ट्रीब्यूटर किसी अन्य स्पॉन्सर के साथ साइन–अप करे।
4. अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अन्य व्यक्तियों या रिश्तेदारों को उपयोग करने के लिए अनुमति दे।
5. यदि बेटा या अविवाहित बेटी की आईडी उनकी अपनी फ़ैमिली आईडी के अन्तर्गत नहीं बनाई गई हो अर्थात् उनकी लाइन ऑफ़ स्पॉन्सरशिप फ़ैमिली आईडी से अलग हो।

इस प्रकार की गई क्रॉस स्पॉन्सरिंग के ऊपर निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाएंगी –

1. ऐसे केसों की शिकायत दूसरी आईडी बनने की तारीख से 6 महीने के अन्दर की जानी चाहिएं। 6 महीने के अन्दर वाली वैध पाई गई शिकायतों पर दूसरी आईडी टर्मिनेट की जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बनाया गया नेटवर्क अप–लाइन में अगले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा।
2. यदि शिकायत 6 महीने के बाद की जा रही है तो यह कम्पनी के विवेकाधिकार में होगा कि उक्त शिकायत को मान्य माना जाए या नहीं। शिकायत की जांच के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी आईडी कम्पनी को उचित लगेगी, एक आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और नेटवर्क एक्टिव आईडी के साथ जुड़ा रहेगा।

यदि जांच में पाया गया कि नई आईडी किसी दुर्भावना से बनाई गई है अथवा भुक्तभोगी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी में नहीं है तो कम्पनी दोनों में से कोई भी आईडी टर्मिनेट कर सकती है और बना हुआ नेटवर्क अप–लाइन में अगले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर ने गलत काम किया हो या करने के लिए उकसाया हो, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

यह कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में होगा कि गलत काम करने वाले को टर्मिनेट करे और मामला सुलझने तक उसके बोनस/पेमेण्ट को रोक ले।

कम्पनी का निर्णय अन्तिम होगा और प्रत्येक व्यक्ति कम्पनी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा।

इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर

1. किसी भी लेवल पर पहुंचे हुए डिस्ट्रीब्यूटर ने यदि पिछले 9 महीनों से कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है या कोई भी अपनी परचेज़ नहीं की है, तो वह ''इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर'' की श्रेणी में माना जाएगा।

2. उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कम्पनी को (टर्मिनेशन सहित) कोई भी निर्णय लेने अधिकार होगा।

3. एक ''इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर'' स्वेच्छा से किसी भी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर साथ काम करने के लिए स्वतन्त्र होगा।